न्यायलय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांकः 16.12.2022

मुकदमा नंबर 50/2021
ऑनलाईन नंबर 2021/128

1. देवकिशन पुत्र श्रीराम जाति ब्राह्मण (खण्डेलवाल) निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. मनोज कुमार पुत्र बंशीलाल जाति सुथार निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

—वादीगण—

बनाम

1. भगतसिंह पुत्र हरफुलसिंह जाति जाट निवासी घनवानवास, तोषाम जिला भिवानी हरियाणा हाल रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ़।
2. विजय पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी गिकाडारोड़ तहसील व जिला चरखीदादरी, हरियाणा।
3. प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा तोषाम जिला भिवानी, हरियाणा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री मांगीलाल नैण अभिभाषक वादी संख्या 1
2. श्री राधेश्याम दर्जी अभिभाषक वादी संख्या 2
3. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2
4. श्री अशोक कुमार व्यास अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3
5. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी कस्बा श्रीडूंगरगढ़ का मूल निवासी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हरियाणा के निवासी है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 525 तादादी 2.5300 हैक्टेयर रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जिस पर कब्जा काश्त हिस्सा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का शांतिपूर्वक निन्तर चला आ रहा है। वादगत रकबा में वादी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं वादी की कब्जा काश्त शुरू से ही खेत खसरा नम्बर 525 तादादी 2.5300 हैक्टेयर की उतरी दिशा की 1/2 हिस्सा (5 बीघा) पर चली आ रही है। वादी ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर खाद आदि डालकर समतलीकरण कर उपजाऊ बना रखी है एवं अपने हिस्सा की भूमि पर मकान, पानी का कुण्ड आदि बना रखे हैं। इसलिए वादी वादगत रकबा में कब्जा काश्त अनुसार अपना हिस्सा का विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में रिश्तेदार नहीं है एवं अलग—अलग परिवार एवं गांव के निवासी होने के कारण उक्त खेत को संयुक्त रूप से काश्त किया जाना सम्भव नहीं है। वादी को अपनी खातेदारी भूमि पर अन्य कृषि विकास कार्य करवाने में भूमि संयुक्त होने से असुविधा हो रही है। जिसके चलते वादी ने दिनांक 25.06.2021 को प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर तहसील कार्यालय चलकर आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने सहमति से खाता विभाजन करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया एवं धमकी दी कि हम तो तुम्हारे सुधार कार्य कर उपजाऊ बनाई गई भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर अच्छी कीमत लेकर आगे विक्रय करेंगे। यही बिनाय दावा मुखासमत वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हासिल है। प्रतिवादीगण वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में जान—बूझकर वादी के खातेदारी हक हिस्सा की भूमि को अलग नहीं करवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादी के पास वादगत खेत को मिट्स एण्ड बाऊण्ड के आधार पर खाता विभाजन करवाने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए वादी दावा के जरिये अपने हक हिस्सा की भूमि अलग करवाने का अधिकारी है। कि जैसा कि दिनांक 25.06.2021 को प्रतिवादीगण ने धमकी दी है कि अगर प्रतिवादीगण अपनी मंशा में सफल हो गये तो वादी को अहम नुकसान होगा। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वो वादी के हिस्सा एवं कब्जा काश्त में दखल पैदा नहीं करें एव ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.12.28 14:56:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

किसी दीगर शख्स से करावे जिससे कि वादी के अधिकारों का हनन हो। यह कि प्रतिवादी संख्या 3 के यहां कृषि भूमि रहन होने से पक्षकार संयोजित किया गया है उसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा खाता विभाजन का होने से एवं स्टेट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का संधारण किये जाने के कारण स्टेट को प्रतिवादी संख्या 4 के रूप संयोजित किया गया है। स्टेट के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए धारा 80 (1) सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र दावा के साथ नोटिस से छूट प्राप्त हेतु दावा के साथ पेश किया जा रहा है। जो स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष की डिक्री सादर फरमावेः–

(क) यह कि खेत खसरा संख्या 525 रकबा 2.5300 हैक्टेयर रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ़ में वादी के कब्जा काश्त उत्तरी दिशा की भूमि बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजित की जाकर लगान अलग से कायम किया जावे एवं तदानुसार नक्सा तरमीम किया जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरनेषाधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वो वादी के कब्जा काश्त में दखल पैदा नहीं करें ना ही किसी दीगर शख्स से करावे।

(ग) यह कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावे।

(घ) यह कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। स्टेट की ओर पैरोकारराज ने विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामा एवं स्टेट की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में किसी प्रकार की आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 525 तादादी 2.5300 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम श्रीडूंगरगढ में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन निम्न सारणी अनुसार किया जाता है:–

क्र.स.	खातेदार का नाम	प्रस्तावित खसरा	रकबा है. में	किस्म
01	देवकिशन पुत्र श्रीराम जाति ब्राहम्मण 8855/12650 हिस्सा मनोज कुमार पुत्र बंशीलाल जाति सुथार 3795/12650 सा. देह खातेदार	525 उतरी मीन	1.2650	बरानी
02	भगत सिंह पुत्र हरफूलसिंह 1/2 हिस्सा जाति जाट सा. धारवानबास राहिन एचडीएफसी बैंक शाखा तोसाम भिवानी व विजय पुत्र प्रतापसिंह 1/2हिस्सा जाति जाट साकिन गिकाडारोड राहिन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा भिवानी खातेदार	525 दक्षिणी मीन	1.2650	बारानी

तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनशिचित करें। रहन यथावत् रहेगा। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को [illegible] लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय [illegible] रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.12.28 14:56:01 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्तिमडिकी

मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

1. देवकिशन पुत्र श्रीराम जाति ब्राह्मण (खण्डेलवाल) निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. मनोज कुमार पुत्र बंशीलाल जाति सुथार निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

बनाम

1. भगतसिंह पुत्र हरफुलसिंह जाति जाट निवासी घनवानबास, तोषाम जिला भिवानी हरियाणा हाल रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ़।
2. विजय पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी गिकाडारोड़ तहसील व जिला चरखीदादरी, हरियाणा।
3. प्रवन्धक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा तोषाम जिला भिवानी, हरियाणा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़।

दावा बाबत विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बरः 50/2021

निर्णय दिनांकः 16.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से मांगीलाल नैण व राधेश्याम दर्जी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से बाबूलाल दर्जी प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अशोक कुमार व्यास प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकाराराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 525 तादादी 2.5300 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम श्रीडूंगरगढ में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन निम्न सारणी अनुसार किया जाता है:–

क्र.स.	खातेदार का नाम	प्रस्तावित खसरा	रकबा है. में	किस्म
01	देवकिशन पुत्र श्रीराम जाति ब्राहम्मण 8855/12650 हिस्सा मनोज कुमार पुत्र बंशीलाल जाति सुथार 3795/12650 सा. देह खातेदार	525 उतरी मीन	1.2650	बरानी
02	भगत सिंह पुत्र हरफूलसिंह 1/2 हिस्सा जाति जाट सा. धारवानबास राहिन एचडीएफसी बैंक शाखा तोसाम भिवानी व विजय पुत्र प्रतापसिंह 1/2हिस्सा जाति जाट साकिन गिकाडारोड राहिन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा भिवानी खातेदार	525 दक्षिणी मीन	1.2650	बारानी

तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। रहन यथावत् रहेगा।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.........0..........फीसदी सालाना आज को जारी.........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें । बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 16 माह 12 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी,

श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	100	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2.अर्जी के लिए [illegible]	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3.[illegible] फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.[illegible]यों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5.आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6.कमि[illegible]	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	100	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya

Date: 2022.12.28 14:56:01 IST

Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

श्री डूंगरगढ

श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)